18.6.24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे बहस सुनी वाद वादी का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज.
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आ.ए.एस.

वाद संख्या ::— 23/2019

1— वंशीलाल पिता भोलीराम धाकड निवासी चंदाखेडी तह0 बेगूँ के बजाय :—
1/1— अम्बालाल पिता बंशीलाल धाकड निवासी चंदाखेडी तह0 बेगूँ
1/2— सोनिया पिता बंशीलाल धाकड निवासी चंदाखेडी तह0 बेगूँ
1/3— सुन्दरबाई पिता स्व0 बंशीलाल धाकड निवासी चंदाखेडी तह0 बेगूँ
2— सोहनीबाई पिता भोलीराम धाकड निवासी चंदाखेडी तह0 बेगूँ
3— सजनीबाई पिता भोलीराम धाकड निवासी चंदाखेडी तह0 बेगूँ
4— सुन्दरबाई पिता भोलीराम धाकड निवासी चंदाखेडी तह0 बेगूँ
वादीगण

बनाम

1— मांगीलाल पिता मु0 घासी धाकड निवासी चंदाखेडी तह0 बेगूँ
2— उदा पिता गंगाराम धाकड निवासी चंदाखेडी तह0 बेगूँ
3— राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय जी चितौडगढ़
4— भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूँ जिला चितौडगढ़
प्रतिवादीगण

उपस्थित ::— श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादीगण
श्री तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक ::— 18.06.2024

निर्णय वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि ग्राम चंदाखेडी पटवार हल्का शादी तहसील बेगूँ निम्नलिखित आराजीयात जमाबंदी संवत 2071 से 74 खाता संख्या 164 खातेदसार मांगीलाल बंशीलाल सोहनीबाई सजनीबाई सुन्दरबाई पिता भोलीराम भूरीबाई पत्नी स्व0 भोलीराम 1/2 मांगीलाल मु0 घासी धाकड 1/2 सा0देह हिस्सा बराबर खातेदार में निम्नलिखित आराजीयात अंकित है:—

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
196	0.2500
217	0.4450
292	0.1700
781	0.8250
योग किता—4 रकबा	1.6900 हैक्टर

जमाबंदी संवत 2071 से 74 खाता संख्या 163 खातेदार मांगीलाल बंशीलाल सोहनीवाई सजनीवाई सुन्दरबाई पिता भोलीराम भूरीबाई पत्नी स्व0 भोलीराम धाकड सा0देह खातेदार में निम्नलिखित आराजीयात अंकित स्थित है :—

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
146	0.3400
154	0.1940
184	0.0570
303	0.1460
719	0.1290
720	0.0400
893	0.2750
894	0.1380
योग किता—8 रकबा	1.3190 हैक्टर

जमाबंदी संवत 2071 से 74 खाता संख्या 162 खातेदार श्री मांगीलाल बंशीलाल [सो]हनीबाइ सजनीबाइ सुन्दरवाई पिता भोलीराम भूरीवाई पत्नी स्व0 भोलीराम 1/2 उदा पिता गंगाराम 1/2 धाकड सा0देह खातेदार में आराजी संख्या 832 रकबा 0.6400 हैक्टर भूमि अंकित स्थित है।

जमाबंदी संवत 2071 से 74 खाता संख्या 5 खातेदार श्री उदा पिता गंगाराम 1/3 मांगीलाल बंशीलाल सोहनीवाई सजनीबाइ सुन्दरवाई पिता भोलीराम भूरीवाई पत्नी स्व0 भोलीराम 1/3 मांगीलाल पिता घासी 1/3 धाकड सा0देह खातेदार में निम्नलिखित आराजीयात अंकित स्थित है :–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
205	0.0240
724	0.0080
905	0.4450
987/708	0.3080
योग किता–4 रकबा	0.7850 हैक्टर

यह कि वादीगण स्व0 भोलीराम पिता मोती के पुत्र पुत्री होकर वारिसान है स्व0 भोलीराम जी के परिवार का सजरा निम्ननुसार है:–

भोलीराम
|

मंगीलाल (गोद गया) घासी के — बंशीलाल — सोहनी — सजनी — सुन्दर — भूरी (पत्नी फौत)

यह कि उक्त वर्णित कलम संख्या 1 में वर्णित आराजयीात वादीगण एव प्रतिवादी सं0 1 के नाम बतौर पिता भोलीराम के रूप में दर्ज हिस्सा जरिये विरासत नामान्तरण संख्या 861 से दर्ज रेकार्ड हुआ है। यह कि प्रतिवादी सं0 1 मांगीलाल स्व0 भोलीराम जी का प्राकृतिक पुत्र होकर बाल्यावस्था में ही जाति समाज रिवाज अनुसार घासी जी के गोद चला गया व घासी जी की सम्पूर्ण कृषि आराजीयात मांगीलाल के नाम दर्ज रेकार्ड हो वह इसी नाम से सहखतोदार भी दर्ज है, इस बावत दोनो पक्षो में काई विवाद भी नहीं है। समस्त सरकार दस्तावेजो में प्रतिवादीसं0 1 का नाम बहैसियत घासी दत्तक पुत्र के दर्ज है।

यह कि प्रतिवादी सं0 1 का नाम बहैसियत घासी के दत्तकपुत्र के रूप में ग्राम चंदाखेडी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज होते हुए राजस्व कर्मचारियों ने विधि प्रावधानो के विरूद्ध जाकर अवैध तरिके से प्रतिवादी संख्या 1 का भोलीराम जी की विरासत में कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भोलीराम जी की विरासत में नाम दर्ज कर दिया हक अधिकार नहीं होते हुए भोलीराम जी की विरासत में नाम दर्ज कर दिया जिससे उक्त कलम सं0 1 में वर्णित अ, ब, स, व द में वर्णित आराजीयात में मांगीलाल पिता भोलीराम के रूप में प्रतिवादी सं0 1 का नाम वादीगण के साथ साथ अंकित चला आ रहा है। उक्त नामान्तरण सं0 561 में वादीगण के साथ साथ मांगीलाल के नाम दर्ज करने की कार्यवाही प्रारंभ से ही अवैध शुन्य एवं वादीगण के अधिकारो के मुकाबले निःप्रभावी कार्यवाही है।

यह कि प्रतिवादी सं0 1 मांगीलाल के घासी जी के दत्तक चले जाने से एवं घासी जी की ही कृषि आराजीयात पर काविज होने से एवं भोलीराम जी की हक हिस्से की कृषि आराजीयात पर काविज होने से एवं भोलीराम जी की हक हिस्से की कृषि आराजीयात में किसी तरह का हक दखल कब्जा काश्त नहीं होने से प्रतिवादी सं0 1 का नाम भोलीराम जी के पुत्र के रूप में दर्ज को विलोपित किया जाना आवश्यक होने से वादीगण ने दिनांक 20.10.2018 को प्रतिवादी सं0 1 को तहसील कार्यालय में चल कर उक्त नाम विलोपित के कार्यवाही बावत कहा तो उसने मना कर दिया जिससे वादीगण को यह वाद वास्ते घोपणा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि प्रतिवादी सं0 1 मांगीलाल ,घासी जी का दत्तक पुत्र होकर भोलीराम जी की हक हिस्से की कृषि आराजीयात में उसका कोई हक हित स्वामित्व नहीं बनता है, भोलीराम जी के मात्र वादीगण ही वारिस है, वादीगण की माता (भोलीराम जी की पत्नी) भूरीवाई का भी स्वर्गवास हो जाने से वादीगण भोलीराम जी के हक हिस्से की कृषि आराजीयात यानि उक्त कलम सं01 में वर्णित उपकलम अ में 1/2 ब में सम्पूर्ण, स में 1/2 एवं द में 1/3 हक हिस्सा अपना होने की एवं

माल पिता भोलीराम का नाम विलोपित कराने की घोषणा कराने के कानूनन अधिकारी है एवं हेतु वादीगण का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत है।

वदीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 1 को दिनांक 20.10.2018 को राजस्व रेकार्ड में चल रही गलत पृविष्टी को सही कराने की कार्यवाही बावत कहा तो उसने मना कर दिया जिससे उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। यह कि प्रतिवादी सं0 2 उदा जी सहखातेदार होने से एवं प्रतिवादी सं0 3 व 4 राजस्थान सरकार एवं भूमिधारी जी राजस्व आराजीयात के हक की घोषणा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है। वर्णित आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वाद श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है।

यह कि वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करते है :–

(अ) यह कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान की जावे कि ग्राम चंदाखेडी पटवार हल्का शादी की उक्त वादपत्र की कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात में वादीगण के साथ मांगीलाल पिता भोलीराम के रूप में दर्ज हिस्सा से मांगीलाल पिता भोलीराम का नाम वादीगण के पक्ष में विलोपित करा उपकलम अ में वर्णित आराजीयात में वादीगण का हिस्सा 1/2, उपकलम ब में वर्णित आराजीयात में सम्पूर्ण, उपकलम स में वर्णित आराजीयात में वादीगण का हिस्सा 1/2 एवं उपकलम द में वर्णित आराजयीत में वादीगण हिस्सा 1/3 दर्ज कराने की अधिकारी है।

(ब) कि अन्य को सहायता जो सुलभ वादीगण हो प्रदान की जावें।

उपरोक्त वादपत्र वादीगण का न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये एवं प्रतिवादी सं0 3 व 4 की ओर से तहसीलदार वेगूँ पैरोकार सरकार द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर चाहा उन्हें न्यायालय द्वारा कई वार अवसर अंतिम अवसर दिये जाने पर भी उनके द्वारा प्रकरण में कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रतिवादीसं0 3 व 4 का जवाबदावा बंद किया गयां। पत्रावली में एक तरफा साक्ष्य वादीगण की प्राप्त की गई, साक्ष्य वादीगण में साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वादी बंशीलाल का प्रस्तुत कराया गया एवं उनसे दिनांक 29.09.2022 को उनके द्वारा साक्ष्य शपथ के परीक्षण में पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए अपने बयानों को कलमबद्ध कराया गया ।

साक्ष्य एक तरफा वादीगण की पूर्ण हो जाने पर अधिवकता वादीगण की एक तरफा बहस वाद पत्र पर ध्यानपूर्वक सुनी गई। बहस अधिवक्ता वादीगण द्वारा वादपत्र के अनुसार ही करते हुए निवेदन किया कि भोलीराम की विरासत से प्रतिवादी सं0 1 मांगीलाल का नाम विलोपित होना चाहिए क्यों कि मांगीलाल घासी जी के गादे चला गया है। प्रतिवादी सं0 1 के प्राकृतिक पिता तो भोलीराम जी है किन्तु मांगीलाल के घासी जी के गोद चले जाने से हिन्दुउत्तरा अधिनियम के तहत गोद पिता के नाम की सम्पत्ति में नाम लग जाने पर प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में भी नाम लगा दिया गया है जबकि नियमानुसार एक ही पिता से सम्पत्ति प्राप्त किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार मांगीलाल का अब प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में कोई हक नहीं है। पटवार हल्का ने बिना किसी ध्यान के मांगीलाल को भोलीराम की विरासत में हक दिया है जो गलत हैं। इस बाबत मांगीलाल को भी कोई एतराज नहीं है।

बहस अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया, भूरीबाई धाकड की मृत्यु का प्रमाण पत्र की छायाप्रति है भूरीवाई की मृत्यु 06.10.2018 को होना प्रमाण पत्र अंकित किया हुआ है। प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी मौजा चंदाखेडी प0ह0 शादी सं0 2071–74 में दर्ज आराजी संख्या 205, 724, 905, 987/708 किता–4 कुल रकबा 0.7850 हैक्टर भूमि के खातेदांर श्री उदा पिता गंगाराम 1/3 मांगीलाल बंशीलाल सोहनीवाई सजनीवाई सुन्दरबाई पिता भोलीराम भूरीबाई स्व. पत्नी भोलीराम 1/3, मांगीलाल पिता घासी 1/3 दर्ज अंकित है। प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी मौजा चंदाखेडी प0ह0 शादी सं0 2071–74 में दर्ज आराजी संख्या 832 रकबा 0.6400 हैक्टर भूमि खातेदार मांगीलाल बंशीलाल सोहनीवाई सजनीवाई सुन्दरबाई पिता भोलीराम भूरीबाई पत्नि स्व. भोलीराम 1/2 उदा पिता गंगाराम 1/2 धाकड सा.देह खातेदार के नाम दर्ज अंकित है। इसी प्रकार प्रदर्श–3 नकल जमाबंदी मौजा चंदाखेडी प0ह0 शादी सं0 2071 से 74 मे दर्ज आराजी संख्या 146, 154, 184, 303, 719, 720, 893, 894 किता–8 कुल रकबा 1.3190 हैक्टर भूमि श्री मांगीलाल बंशीलाल सोहनीबाई सजनीबाई सुन्दरबाई पिता भोलीराम भूरीबाई पत्नी स्व. भोलीराम सा.देह के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज अंकित हैं। प्रदर्श–4 नकल जमाबंदी मौजा चंदाखेडी प0ह0 शादी में अंकित आराजी संख्या 196, 217, 292, 781 किता–4 कुल रकबा 1.6900 हैक्टर भूमि में श्री मांगीलाल बंशीलाल सोहनीबाई सजनीबाई सुन्दरबाई पिता भोलीराम भूरीबाई पत्नी स्व. भोलीराम 1/2 मांगीलाल मु. घासी 1/2 धाकड सा.देह खातेदार हि.ब. नाम दर्ज अंकित है। प्रदर्श–5, प्रदर्श–6, प्रदर्श–7 नकल जमाबंदी की

उसके विरासत से खोले गये नामान्तरण सं0 561 का नोट अंकित करते हुए भोलीराम के वारिसान के नाम पर भूमियाँ दर्ज की गई है। प्रदर्श–8नकल नामान्तरण संख्या 561 की है जो कि भोलीराम के फोत होने पर उनकी विरासत से मांगीलाल बंशीलाल सोहनीबाई सजनीबाई सुन्दरबाई पिता भोलीराम भूरीबाईठ पत्नी भोलीराम धाकड क`नाम पर सभी खाते का अंकन करते हुए विरासत के नाम दर्ज किये गये है। प्रदर्श–9 नकल जमाबंदी ग्राम चंदाखेडी की सं0 2025 से 29 है जिसमें दर्ज आराजी किता–6 कुल रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा भूमि श्री मोती पिता उँकार धाकड के नाम पर दर्ज अंकित है तथा जमाबंदी में नोट दर्ज किया हुआ है कि नामा. 77 दिनांक 28.07.1968 से मोती के बजाय खेमा गंगाराम घासी भोलीराम का नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई।

इसी प्रकार प्रदर्श–10 नकल जमाबंदी मौजा चंदाखेडी सं0 2025 से 28 में दर्ज आराजी किता 12 रकबा 71बीघा भूमि श्री रूपा चुनिया पिता दोला 1/16, मोती पिता उकार 2/3 व नोला पिता नियामचन्द 1/6 से दर्ज है तथा नोट अंकित किया हुआ है कि इन्तकाल नं. 76 दिनांक 29.07.1968 से मोती के बजाय खेमा गंगाराम घासी भोलीराम का नाम दर्ज किया गया है। प्रदर्श–11 नकल जमाबंदी मौजा चंदाखेडी सं0 2028 से 31 का अवलोकन किया गया। साथ ही उक्त बहस नकल जमाबंदी जो अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है उनमें दर्ज आराजीयात में मांगीलाल दत्तक पुत्र घासी 1/2 हक से नाम दर्ज है। अन्य प्रस्तुत नकल जमाबंदी में मांगीलाल पुत्र घासी का सम्पूर्ण हिस्सा आराजी में दर्ज अंकित किया हुआ है। इस प्रकार सभी दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि खातेदार भोलीराम की मृत्यु के पश्चात विरासत से खोले गये नामान्तरण में मांगीलाल पुत्र भोलीराम का नाम भी दर्ज अंकित कर दिया गया है जबकि दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार मांगीलाल घासी जी के गोदपुत्र के रूप में अन्य आराजीयात मौजा चंदाखेडी में दर्ज है। इस प्रकार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है दावा डिक्री किया जाता है। तथा आदेश दिया जाता है कि वर्णित आराजीयात में वादीगण के साथ मांगीलाल पिता भोलीराम के रूप में दर्ज हिस्सा से मांगीलाल पिता भोलीराम का नाम वादीगण के पक्ष में विलोपित करा मौजा चंदाखेडी प0ह0 शादी के खाता संख्या 5 में दर्ज आराजी संख्या 205, 724, 905, 987/708 किता–4 कुल रकबा 0.7850 हैक्टर भूमि में वादीगण का नाम 1/3 हक से दर्ज किये जाने एवं मौजा चंदाखेडी के खाता संख्या 162 में दर्ज आराजी संख्या 832 रकबा 0.6400 हैक्टर भूमि में वादीगण का नाम 1/2 हक से तथा मौजा चंदाखेडी प0ह0 शादी केखाता संख्या 163 में दर्ज आराजी संख्या 146, 154, 184, 303, 719, 720, 893, 894 किता–8 कुल रकबा 1.3190 हैक्टर भूमि मे वादीगण का नाम सम्पूर्ण आराजी मे तथा मौजा चंदाखेडी प0ह0 शादी के खाता संख्या 164में दर्ज आराजी संख्या 196, 217, 292, 781 किता–4 कुल रकबा 1.6900 हैक्टर भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/2 हक से दर्ज किये जाने एवं शेष अंकन जमाबंदी अनुसार किये जाने की घोषणा की जाती है। खातेदारी मांगीलाल पुत्र भोलीराम को घासी द्वारा गोद लिये जाने से मांगीलाल का नाम वादीगण के पक्ष में विलोपित किये जाने एवं खातेदार भूरीबाई पत्नी स्व. भोलीराम की मृत्यु होने से उनका नाम हटाये जाने तथा शेष अंकन जमाबंदी अनुसार किये जाने की घोषणा की जाती है। डिक्री पत्र तैयार कर डिक्री प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश

वाद संख्या :– 23/2019

1– बंशीलाल पिता भोलीराम धाकड निवासी चंदाखेडी तह0 बेगूँ के बजाय :–
1/1– अम्बालाल पिता बंशीलाल धाकड निवासी चंदाखेडी तह0 बेगूँ
1/2– सोनिया पिता बंशीलाल धाकड निवासी चंदाखेडी तह0 बेगूँ
1/3– सुन्दरबाई पिता स्व0 बंशीलाल धाकड निवासी चंदाखेडी तह0 बेगूँ
2– सोहनीबाई पिता भोलीराम धाकड निवासी चंदाखेडी तह0 बेगूँ
3– सजनीबाई पिता भोलीराम धाकड निवासी चंदाखेडी तह0 बेगूँ
4– सुन्दरबाई पिता भोलीराम धाकड निवासी चंदाखेडी तह0 बेगूँ
वादीगण

बनाम

1– मांगीलाल पिता मु0 घासी धाकड निवासी चंदाखेडी तह0 बेगूँ
2– उदा पिता गंगाराम धाकड निवासी चंदाखेडी तह0 बेगूँ
3– राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय जी चितौडगढ
4– भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूँ जिला चितौडगढ
प्रतिवादीगण

निर्णय वाद डिक्री अ0धा0 88 राज0 काश्त0 अधि0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र मंत्री की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री .....की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 18.06.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है दावा डिक्री किया जाता है। तथा आदेश दिया जाता है कि वर्णित आराजीयात में वादीगण के साथ मांगीलाल पिता भोलीराम के रूप में दर्ज हिस्सा से मांगीलाल पिता भोलीराम का नाम वादीगण के पक्ष में विलोपित करा मौजा चंदाखेडी प0इ0 शादी के खाता संख्या 5 में दर्ज आराजी संख्या 205, 724, 905, 937/708 किता–4 कुल रकबा 0.7850 हैक्टर भूमि में वादीगण का नाम 1/3 हक से दर्ज किये जाने एवं मौजा चंदाखेडी के खाता संख्या 162 में दर्ज आराजी संख्या 832 रकबा 0.6400 हैक्टर भूमि में वादीगण का नाम 1/2 हक से तथा मौजा चंदाखेडी प0इ0 शादी केखाता संख्या 163 में दर्ज आराजी संख्या 146, 154, 184, 303, 719, 720, 893, 894 किता–8 कुल रकबा 1.3190 हैक्टर भूमि मे वादीगण का नाम सम्पूर्ण आराजी मे तथा मौजा चंदाखेडी प0इ0 शादी के खाता संख्या 164में दर्ज आराजी संख्या 196, 217, 292, 781 किता–4 कुल रकबा 1.6900 हैक्टर भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/2 हक से दर्ज किये जाने एवं शेष अंकन जमाबंदी अनुसार किये जाने की घोषणा की जाती है। खातेदारी मांगीलाल पुत्र भोलीराम को घासी द्वारा गोद लिये जाने से

लाल का नाम वादीगण के पक्ष में विलोपित किये जाने एवं खातेदार भूरीबाई पत्नी स्व. लीराम की मृत्यु होने से उनका नाम हटाये जाने तथा शेष अंकन जमाबंदी अनुसार किये जाने की घोषणा की जाती है। डिक्री पत्र तैयार कर डिक्री प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जावें।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू

दिनांक :- 19.6.24

क्रमांक/सरिश्ता/2024/305
दावा संख्या 23/2019 व अनवान बंशीलाल बनाम मांगीलाल वगै. दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में हुए निर्णय की अंतिम डिक्री वास्ते पालनार्थ आपको दी जाती हैं

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू